रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-05102020-222248 CG-DL-E-05102020-222248

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 503] No. 503] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 5, 2020/आश्विन 13, 1942 NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 5, 2020/ASVINA 13, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2020

सं. 36 /2020--सीमाश्ल्क

सा.का.नि. 615(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए की ऐसा करना जन-हित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 13/2020-सीमाशुल्क, दिनांक 14 फरवरी, 2020, जिसे सा.का.नि. 119(अ), दिनांक 14 फरवरी, 2020, के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना अनुच्छेद 2 में उपवाक्य 1 के उप-उपवाक्य (ग) में, अंकों और अक्षरों - "31/03/2020" को अंकों, शब्दों और अक्षरों "31/03/2021 तक या उस तारीख तक जब आरओएससीटीएल स्कीम का निर्यात उत्पादों पर शुल्कों व करों की छट की स्कीम में विलय कर दिया जाए, अथवा इन दोनों में से जो भी पहले हो", को प्रतिस्थापित किया जाता है।

[फा. सं. 605/14/2020-डीबीके]

गोपाल कृष्ण झा, निदेशक (प्रतिअदायगी)

टिप्पणी : मूल अधिसूचना सं. 13/2020-सीमा शुल्क, दिनांक 14 फरवरी, 2020, भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का.िन. संख्यांक 119(अ), तारीख 14 फरवरी, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

4735 GI/2020 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2020

No. 36/2020-Customs

G.S.R. 615(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 13/2020-Customs, dated the 14th February, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 119(E), dated the 14th February, 2020, namely:-

In the said notification, in paragraph 2, in clause (1) in sub-clause (c), for the figures, letters and word "31st March, 2020", the figures, letters and words "31st March, 2021 or until such date the RoSCTL scheme is merged with the Remission of Duties and Taxes on Exported Products scheme, whichever is earlier", shall be substituted.

[F. No. 605/14/2020-DBK]

GOPAL KRISHNA JHA, Director (Drawback)

Note: The principal notification No. 13/2020-Customs, dated the 14th February, 2020 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 119(E), dated the 14th February, 2020.